



WL

इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची आई.आर.सी.टी.सी.ई-टिकटिंग सेवा (पर्सनल उपयोगकर्ता)

WL



1. आप भेजे गए ई-टिकट एसएमएस या ईआरएस के स्क्रीन शॉट यानी वर्चुअल रिजर्वेशन मेसेज (वीआरएम)के साथ वास्तविक पहचान पत्र लेकर यात्रा कर सकते हैं। यह टिकट पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ ही मान्य होगा। कृपया पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ यात्रा करें। यदि कोई यात्री मूल पहचान पत्र के बिना यात्रा करता है, तो बिना टिकट माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार प्रभार शुल्क लगाया जाएगा। कृपया पेपर और पर्यावरण को बचाएँ और ईआरएस मुद्रित (प्रिन्ट) न करें, जब तक ऐसा करने के लिए बेहद जरूरी नहीं हो।

2. केवल कंफर्म/आरएसी/आंशिक रूप से कंफर्म ई-टिकट ही यात्रा के लिए मान्य हैं।

3. **पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट यात्रा के लिए अमान्य है यदि यह चार्ट तैयार करने के बाद टिकट पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में रहता है तो बुकिंग राशि की वापसी बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में जमा की जाएगी। पूरी तरह से प्रतीक्षा ई-टिकट पर यात्रा करना अवैध है।**

4. ई-टिकट के बुकिंग पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मान्य आईडी कार्ड:- मतदाता पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैनकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोआईडी कार्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के छात्र पहचान पत्र/ तस्वीर के साथ जारी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / तस्वीर के साथ जारी क्रेडिट कार्ड / आधार कार्ड, एम-आधार, ई-आधार। / राज्य / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किए गए क्रम संख्या वाले फोटो पहचान पत्र / यात्री अपने डिजिटलॉकर अकाउंट में लॉग-इन कर के "इश्युड डॉक्यूमेंट" सेक्शन से आधार/ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो इसे पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में माना जाएगा (उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज अर्थात "अपलोडेड डॉक्यूमेंट" सेक्शन के दस्तावेज, पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे)।

5. सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996411: 150 किलोमीटर तक की दूरी तक के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की स्थानीय भूमि परिवहन सेवाएं सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996416: पर्यटन टिकट के लिए रेलवे द्वारा पर्यटन स्थलों की यात्रा करना सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996421: 150 किमी से अधिक दूरी के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं

6. **इस टिकट को बुक करते समय, आपने अपनी यात्रा के गंतव्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पढ़ने की सहमति दी है। आपको फिर से सलाह दी जाती है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गंतव्य राज्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सलाहकार को स्पष्ट रूप से पढ़ें और उनका ठीक से पालन करें।**



पीएनआर संख्या: 2638957059	गाड़ी संख्या एवं नाम : 02554 / VAISHALI SPL	कोटा: GENERAL (GN)
ट्रांजेक्शन संख्या: 100002367821176	बुकिंग की तिथि: 16-Jul-2020 10:35:28 HRS HRS	श्रेणी: THIRD AC (3A)
कहाँ से: NEW DELHI(NDLS)	यात्रा की तिथि: 13-Nov-2020	कहाँ तक: CHHAPRA(CPR)
गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन: NEW DELHI(NDLS)	गाड़ी में बैठने की तिथि: 13-Nov-2020	निर्धारित प्रस्थान समय: N.A.
कहाँ तक आरक्षण: CHHAPRA(CPR)	निर्धारित आगमन समय: N.A.	वयस्क: 2 बच्चे: 0
यात्री का मोबाइल नंबर: 8407073649		दूरी: 972KM
यात्री का पता:	Plot No 73, Ground Floor, Patparganj Industrial Area Patparganj New Delhi - 110092, East Delhi, DELHI - 110092	
N (NEW TIME TABLE FROM 01-0		
7-2020 CHECK TIME BEFORE BOARDING		
G)		

किराये का विवरण :

टिकट किराया **	₹ 2660.0	दो हजार छह सौ साठ रुपये तथा शून्य पैसे
आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क (जीएसटी सहित) #	₹ 35.4	पैंतीस रुपये तथा चालीस पैसे
कुल किराया (सब मिलाकर)	₹ 2695.4	दो हजार छह सौ पंचानवे रुपये तथा चालीस पैसे

** जीएसटी सहित - ₹ 128.0 Only

ई टिकट सुविधा शुल्क प्रति टिकट यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना

यात्री का विवरण :

क्रम सं	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	PRINCE KUMAR	25	Female	WL/76	WL/71
2	PRIYANSHU KUMAR	18	Male	WL/77	WL/72

भारतीय रेलवे जीएसटी विवरण :

चालान संख्या : PS20263895705911 पता: Indian Railways New Delhi

आपूर्तिकर्ता की जानकारी		प्राप्तकर्ता की जानकारी			कर योग्य राशि	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूजीएसटी	आईजीएसटी	कुल कर	
एसएसी कोड	जीएसटीआईएन	जीएसटीआईएन	नाम	पता	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि
996421	07AAAGM0289C1ZL				2532.0					128.0

यह टिकट व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी पर बुक की गई है और किसी एजेंट द्वारा नहीं बेची जा सकती है। इसकी बिक्री / खरीद रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।

Acronyms: RLWL: REMOTE LOCATION WAITLIST PQWL: POOLED QUOTA WAITLIST RSWL: ROAD-SIDE WAITLIST

आपूर्ति का स्थान: NEW DELHI(NDLS) आपूर्तिकर्ता का राज्य कोड / नाम : 0

टिकट मुद्रण का समय: 16-Jul-2020 10:35:42 HRS

IR recovers only 57% of cost of travel on an average.

[बिना विज्ञापन वाली आरक्षणपर्ची छापें। \[X\]](#)

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :

यह बुकिंग COVID-19 के तहत स्पेशल ट्रेन में के गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची के जरूरी निर्देश संख्या 3, 10 और 11 लागू नहीं होंगे। कृपया IRCTC की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध अलर्ट सेक्शन में मुख्य विशेषताएं देखें अथवा यहाँ क्लिक करें।

1. ई-टिकटिंग सेवाओं के नियम और शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया www.irctc.co.in विजिट करें।

2. मेल के माध्यम से भेजा गया VRM / ERS में छपे प्रस्थान व आगमन समय, गाड़ी के वर्तमान प्रस्थान व आगमन समय में अंतर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेलवे पृष्ठताछ संख्या 139 पर फोन कर या 139 पर संदेश भेज कर सही प्रस्थान व आगमन समय सुनिश्चित कर लें।

3. धन वापसी के नियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन है। धन वापसी के संशोधित नियम 12 -11 -2015 से लागू है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर सामान्य जानकारी -टिकट रद्दीकरण और वापसी नियम 12 नवंबर 2015 से प्रभावी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है)।

4. आरक्षित बर्थ स्थानांतरित नहीं की जा सकती है और यह तभी वैध है जब कोई भी एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यात्री के पास यात्रा के दौरान SMS /इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची / वर्चुअल आरक्षण संदेश उपलब्ध नहीं है तो 50 रुपये शुल्क प्रति टिकट, टिकट जांच कर्मचारी द्वारा लिया जायेगा और उस के बदले में अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाएगी।

5. आवेदक को इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट www.irctc.co.in पर रद्द करने की अनुमति है।

6. वह पी एन आर जो की पूर्णतया प्रतीक्षासूची में है, ऐसे टिकटों पर उन यात्रियों का नाम चार्ट पर नहीं दिखेंगे। उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु आंशिक रूप से प्रतीक्षासूचीबध/कंफर्म/आरएसी सूचि वाले यात्रियों का नाम चार्ट पर होगा।

7. आंशिक रूप से प्रतीक्षा ई-टिकट के मामले में टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, (A)बुक यात्री के यात्रा न करने पर, (B)एसी काम नहीं करने पर, (C)निम्न श्रेणी में यात्रा करने पर। धनवापसी का दावा करने के लिए ऑन लाइन टी डी आर निर्धारित समय में दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंटी रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए।

8. किसी यात्री का ई टिकट आंशिक रूप से प्रतीक्षारत ई टिकट/आरएसी/पूर्णतया प्रतीक्षारत हो और वह यात्रा नहीं करता तो उन सभी यात्रियों को ऑन लाइन टी डी आर रेलवे धन वापसी के नियमों के अनुसार निर्धारित समय में दर्ज किया जाना चाहिए। धन वापसी रेलवे धन वापसी नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जायेगी।
9. आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टीडीआर धनवापसी का अनुरोध पंजीकृत करने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धनवापसी नियमों के अनुसार कारवाई की जाती है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर महत्वपूर्ण जानकारी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।
10. कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। लेकिन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले रद्द की गई टिकट पर ही धनवापसी होगी।
11. आरएसी/आंशिक कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। हालांकि धनवापसी रेलवे के मौजूदा धनवापसी प्रावधानों के तहत होगी।
12. एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दसा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षासूचि में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधधीन अनुज्ञेय होगा की ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाइल करेगे।
13. सुविधा ट्रेन के लिए, 20 जनवरी 2018 से धन वापसी के नियम साधारण धन वापसी नियमों के अनुसार लागू होंगे।
14. न पर ट्रेन रद्द होने की स्थिति में स्वचालित प्रणाली द्वारा पूर्ण धनवापसी किया जायेगा। यदि ट्रेन अपने गंतव्य से आंशिक रूप से रद्द हो तो यात्री को अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटों के भीतर टीडीआर दर्ज करना होगा।
15. यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करे और ट्रेन में धूम्रपान वर्जित है।
16. ग्राहक सहायता के लिए सम्पर्क करे: 24x7 Hrs. 0755-6610661, 0755-4090600 या ई-मेल करे care@irctc.co.in
17. 1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिस्कीरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करे या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करे। खान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव एवं शिकायत के लिये कृपया टोल फ्री नंबर 1800-111-3211/1322 (07.00 प्रातः से 11.00 रात्रि) पर संपर्क करे।
18. मेडिकल इमारजेंसी / प्राथमिक सहायता के लिए, टिकट स्टाफ / गार्ड से संपर्क करे या डायल करे 138. (अखिल भारतीय यात्री हेल्पलाइन नंबर हैं 138)
19. पीएनआर और ट्रेन आगमन / प्रस्थान जानकारी नंबर 139
20. यात्रा के दौरान परेशानी की स्थिति में रिपोर्ट करने के लिए, रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 डायल करे।
21. सभी दिए गए नियम और शर्तें तभी लागू होंगे जबकि यात्रा बीमा सुविधा का विकल्प चुना गया हो। कृपया www.irctc.co.in वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध यात्रा बीमा नियम और शर्तों को देखे
22. कभी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजी आईडी का प्रयोग कर रहे हैं उनसे ई-टिकट न खरीदें। इस तरह की टिकट भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 143 के तहत रद्द करने और बिना धनवापसी किए जब्त करने योग्य होगी। अधिकृत एजेंट की सूची www.irctc.com पर उपलब्ध है ई-टिकट एजेंट लोकेटर
23. ई - टिकट के रद्दीकरण और धनवापसी के लिए ग्राहक द्वारा जनरल नियमों / सूचना का अध्ययन किया जाना चाहिए।
24. एजेंटों (IRCTC और रेलवे एजेंट दोनों) के माध्यम से विशेष ट्रेन टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपयोगकर्ताओं को एजेंटों से टिकट नहीं खरीदना चाहिए।

अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस एप्प डाउनलोड करें!

प्रिय ग्राहक अपनी पात्रता जानें

सांकेतिक मानक मेन्यू मेल एक्सप्रेस :- (खानपान शुल्क टिकट किराया में शामिल नहीं हैं)	
टी (टी बैग के साथ)/काँफी (150 एमएल)	Rs. 10/-
रेल नीर / पैकेज किए गए पेयजल (ठंडा)	
(a). 1 लीटर बोतल/1000एमएल	Rs. 15/-
(b). 500 एमएल बोतल	Rs. 10/-
जनता मील या इकोनॉमी खाना या जनता खाना	Rs. 20/-
मानक नाश्ता	
वेजिटेरियन नाश्ता - ब्रेड बटर और कटलेट -02 वेज कटलेट (100ग्रा.) + 02 ब्रेड स्लाइस+ + 10 ग्रा. बटर चिपलेट + टोमेटा सॉस	Rs. 40/-
वेजिटेरियन नाश्ता - इडली और वडा - 04नं. इडली (200ग्रा.)+04 नं- उड़द वडा (120 ग्रा.) +50 ग्रा. चटनी	Rs. 40/-
नॉन-वेज नाश्ता - 2 अंडों का ऑमलेट + 02 ब्रेड स्लाइस + 10 ग्रा- बटर चिपलेट + टोमेटा सॉस	Rs. 50/-
मानक पुलाव भोजन - दोपहर का भोजन / डिनर	
वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + मिक्स वेज (100ग्रा.) + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्ड पानी का गिलास	Rs. 80/-
नॉन-वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + अंडा करी (02 नं. अंडे) + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्ड पानी का गिलास	Rs. 90/-
नॉन-वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + चिकन करी + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्डपानीकागिलास	Rs. 130/-
शाकाहारी बिरयानी (350 ग्रा) - पुलाव में पैक 70 ग्राम सब्जियों सहित 270 ग्राम की बिरयानी + 80 ग्राम ब्रांडेड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइज़र (1एमएल) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच	Rs. 80/-
अंडा बिरयानी (350 ग्रा) - पुलाव में पैक 2 अंडे सहित 270 ग्राम की बिरयानी + 80 ग्राम ब्रांडेड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइज़र (1एमएल) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच	Rs. 90/-
चिकन बिरयानी (350 ग्रा) - पुलाव में पैक 70 ग्राम बोनलेस चिकन सहित 270 ग्राम की बिरयानी + 80 ग्राम ब्रांडेड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइज़र (1एमएल) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच	Rs. 110/-

राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत तथा अन्य ट्रेनों में खानपान की जानकारी के लिए, कृपया <http://menurates.irctc.co.in/> पर देखें

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
11. यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।